उनवान ..... छोटूलाल वगैरह ..... बनाम ..... गोकुलाल वगैरह .....

धारा ..... प्र.धा. 212 RTA ..... मुकदमा नं. ..... 55/2021 ..... ऑनलाईन नं. ..... 2021/144 .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
17/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप0। एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही। जवाब सरकार पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड मे बदरया उर्फ बद्रीलाल के नाम मे हुई त्रुटि प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होने से प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन साबित है तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को हो रही है। अतः सम्पूर्ण विवेचन से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवम् अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे स्वयं अथवा जरिऐ प्रतिनिधि विवादित भूमि मे बदरया पुत्र गोपाल के खाते व हिस्से की कृषि भूमि मे प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। विवादित भूमि को अन्यत्र रहन, बेचान, दान आदि नही करे, भारग्रस्त नही करे, खुर्द–बुर्द नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। Ramniwas सहायक कलक्टर इटावा जि० कोटा (राज०)	